

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

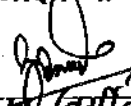
आज्ञा

कर्मांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1629 / 2021 दिनांक 22.07.2021

श्री सीताराम खोवाल (RJ0264), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-॥ हाल न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक को दिनांक 14.11.2020 से 02.12.2020 तक 19 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 13.11.2020 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री खोवाल की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-॥ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

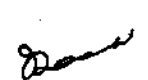
अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-॥ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कर्मांक:—स्था.बी.2(4) 85 / 1996 / 4669 दिनांक 22.07.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक को उनके पत्रांक 246 दिनांक 08.07.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री सीताराम खोवाल (RJ0264), न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण, टोंक।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, जयपुर महानगर-॥
5. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012, तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, जयपुर महानगर-॥


सहायक रजिस्ट्रार